

(1)

छब्बीस सचिवालय

विषय : आर- क0 1777 / 2016 / बी-4 / दो

MM  
का विभाग  
B-4

विषय:-याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरुद्ध अपील अनुमति के संबंध में।

—00—

प.क.1777 / 2016, दि0 17.003.2016

p-1/c

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव का कृपया अवलोकन हो।

p-2/c

p-24/c

2/ याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी0-19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैलसाहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 में शासकीय अधिवक्ता श्री बृहम्मदत्त सिंह, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अभिमत अनुसार निर्णय विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा लेख किया गया है।

p-1/c

p-30/c

3/ प्रकरण में याचिका की प्रति, जबाबदावा की प्रति, माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति, शासकीय अधिवक्ता का अभिमत एवं विधिक आधार एवं प्रकरण की संक्षेपिका सहित अपील प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

4/ अतः पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव अनुसार याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरुद्ध रिट अपील अनुमति हेतु प्रकरण प्रशासकीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। तदोपरान्त अनुमति हेतु विधि विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

86.30

अ0अ0

17/3

किंफ

18/3

Handy  
17/3/16

2

18/3 17/3/16

523/DSAS  
18316

1410  
8/1/3/16  
24/3

मि. मंजीरा, एड

मि. मंजीरा, एड

21-3-2016  
5-4-2016

वाकाल गौर  
गृह विभाग एवं जेल विभाग  
मध्यप्रदेश शासन

विधि एवं किराजी  
कार्य विभाग

24-3-2016  
5-4-2016

प्रमुख सचिव  
म.प्र.शासन, गृह विभाग,  
मुख्यालय, भोपाल

21/3/16  
775/



(2)

हिम  
छत्तीस गढ़ी सचिवालय  
B4

विषय :

आर- क0 1777 / 2016 / बी-4 / दो

का विभाग

विषय:-याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू  
सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर  
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक  
06.01.16 के विरुद्ध अपील अनुमति के संबंध में।

—00—

// पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल //

क-पुमु/एलएस-2/ए-3/(165/15)/ 617 /16 दिनांक 14 /03/2016

प्रति,

सचिव

म0प्र0शासन, गृह विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

दस्तावेज 1777  
दिनांक 17/03/16  
गृह विभाग (शासन वि-4)

विषय :-

याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817/15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरुद्ध अपील अनुमति के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत याचिका क0- डब्ल्यूपी-19817/15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 में शासकीय अधिवक्ता श्री बृहम्मदत्त सिंह, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अभिमत अनुसार निर्णय विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में लेख किया गया है ।

अतः याचिका की प्रति, जबावदावा की प्रति, माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति, शासकीय अधिवक्ता का अभिमत एवं विधिक आधार एवं प्रकरण की संक्षेपिका सहित अपील प्रस्ताव संलग्न प्रेषित है ।

अतः कृपया उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध रिट अपील दायर करने संबंधी शासनादेश से यथाशीघ्र संसूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

Q. 4316

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि)  
हेतु-पुलिस महानिदेशक  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क-पुमु/एलएस-2/ए-3/(165/15)/

/16 दिनांक

/03/2016

प्रतिलिपि :- सेनानी 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शासन से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि)  
हेतु-पुलिस महानिदेशक  
मध्यप्रदेश, भोपाल



96  
(2)

①

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

WRIT PETITION NO.

OF 2015(S).

19817

PETITIONER: : Smt. Shail Sahu.

Versus

RESPONDENTS: The State of M.P. & Others.

INDEX

r. No.	Description of the documents relied upon.	Annexure	Page Nos.
1.	Index.		1
2.	Chronology of events.		2
3.	Writ Petition with affidavit.		3 - 10
4.	List of documents.		11
5.	Copy of PPO dated 29-06-2012 with Pension Calculation Sheet.	P/1	12 - 15
6.	Copy of order dated 04-10-2012.	P/2	16
7.	Copy of letter dated 20-07-2012.	P/3	17 - 19
8.	Copy of letter dated 13-09-2012.	P/4	20 - 21
9.	Copy of circular.	P/5	22 - 30
10.	Vakalatnama.		31

Place: JABALPUR.

Date: 27-11-2015.

**SACHIN PANDEY**  
ADVOCATE FOR PETITIONER

57  
16

**IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT  
JABALPUR**

W. P. No. 19817/2015

PETITIONER : Smt. Shail Sahu

Versus.

RESPONDENTS : The State of M.P. & others

**INDEX**

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Return		1 to 4
2.	Affidavit		5
3.	Copy of order dtd. 18/7/2007	R-1	6 To 20
4.	Copy of order dtd. 21/4/2011	R-2	21 To 57
5.	Copy of orders dtd. 27/10/2006 and order dtd. 6/8/2007	R-3 & R-4	58 To 59 60 To 63
6.	Vakalatnama		64

Jabalpur

Dated : 24 JAN 2016

**DECLARATION**

It is declared that "Main Matter" is not included in the current daily/weekly  
list, issued by the Registry."



*[Signature]*  
GOVERNMENT ADVOCATE



54  
24

3

IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

WRIT PETITION NO. 19817 OF 2014(S).

**PETITIONER:**

Presented on 19/11/15  
By S. Pandey  
Presentation Assistant

Smt. Shail Sahu, W/o Shri Jagdish Prasad Sahu, aged about 63 years, Retired Subedar O/o Commandant 6<sup>th</sup> Training Battalion, Ranjhi, Jabalpur, R/o House No. 150, behind Sindhi Camp Khairmai Ward, Bhanthalaia Jabalpur, District-Jabalpur. (M.P.)

**Versus**

**RESPONDENTS:**

1. The State of Madhya Pradesh. Through: Principal Secretary, Home Department, Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal. (M.P.)
2. Director General of Police, Police Head Quarter Bhopal (M.P.)
3. Joint Director, Treasury, Accounts, & Pension Jabalpur Division, Jabalpur. (M.P.)
4. Treasury Officer, District Treasury Office, Jabalpur, District-Jabalpur (M.P.).
5. District Pension Officer, Jabalpur, District-Jabalpur (M.P.).
6. Commandant 6<sup>th</sup> Training Battalion Jabalpur, District-Jabalpur (M.P.).

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

1. **Particulars of the cause/order against which the petition is made:**

- (1) Date of the order: (a) PPO dated 29-06-2012.  
(b) Order dated 04-10-2012.

(2)



ADVOCATE GENERAL



Phone { Office : 2678740  
2678185  
Fax : 2621216

D. O. No. 283

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL  
MADHYA PRADESH, JABALPUR  
JABALPUR

January 29, 2016  
Dated 30/1/2016

MADHYA PRADESH

To,

1. The Principal Secretary, Govt. of M.P.,  
Law & Legislative Affairs Department,  
Vindhyachal Bhawan, Bhopal.
2. The Secretary, Govt. of M.P.,  
Home (P) Department,  
Vallabh Bhawan, Bhopal.

✓ 3) The Commandant, SAF, 6 Bn. Jabalpur ((MP).

Sub :- Opinion in W.P. No. 19817/2015 ( Smt. Shail Sahu V/S State of MP & Ors)

In the captioned matter the petitioner, who retired from the post of Subedar from M.P. Police Department, challenged the recovery of Rs. 5,35,120/- from her gratuity and monthly pension.

Return was filed by the State Government stating that the recovery orders were initially issued on 25/3/2006 against all persons of the class of the petitioner as they were not entitled for ad hoc increase of Rs. 50, 60 and 70, as the case may be, in their pay scale after re-fixation at par with those working in the ministerial cadre.

It was further stated that against the aforesaid order dtd. 25/3/2006 writ petitions were filed by the employees of the class of the petitioner wherein after initially granting stay the same were dismissed by the Hon'ble High Court.

In the writ appeals preferred there against after initially granting stay the same were also dismissed by the Hon'ble High Court vide orders dtd. 21/4/2011 with a specific direction to make the recovery.

As such, it was submitted before the High Court that since it is not a case where due to less payment for a long time the unexpected recovery would result in hardship to the petitioner, the ratio of Punjab Vs. Rafiq Masih case reported in 2015 (1) MPHT 130 ( SC) would not be applicable.

However, the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dtd. 6/1/2016 on the ground as per the case of Rafiq Masih no recovery is permissible against the Class III and Class IV employees.

I have gone through the said Judgment, the material on record as well as relevant case laws and I am of the opinion that the aforesaid Judgment deserves to be scrutinized in intra court appeal before the Division Bench of the Hon'ble High Court by filing writ appeal as:

In the case of State of Punjab Vs. Rafiq Masih (2014) 8 SCC 883 three Judges Bench of the Hon'ble Supreme Court was answering a reference as to whether in view of the ratio of judgments of Shyam Babu Verma (1992) 2 SCC 227 and State of Punjab Vs. Rafiq Masih (2015) 1 MPHT 130 (SC) the recovery of Rs. 5,35,120/- from the petitioner is permissible.




## अपीलीय विधिक आधार

37 38

याचिका क्रमांक-डब्ल्यू0पी0 19817/15 श्रीमती शैल साहू विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 6.01.16 को आदेश पारित किया गया । पारित निर्णय में शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्रकरण के निराकरण हेतु अभिमत लिया गया । शासकीय अधिवक्ता के दिनांक 30.01.16 के अभिमत में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.01.16 में स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफिक मसी उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को आधार मानकर याचिका कर्ता की याचिका स्वीकार की गई है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही रिकवरी से संबंधित अन्य प्रकरणों में जिसमें चंडी प्रसाद उन्नयल का प्रकरण 2012 एवं वी0जे0 अकारा के प्रकरण 2006 में निर्णय पारित कर स्पष्ट किया गया है कि रिकवरी कानूनन गलत नहीं हैं ।

उक्त प्रकरण में याचिका कर्ता को पूर्व से ज्ञात था कि उसकी रिकवरी होगी परंतु माननीय उच्च न्यायालय में कई डब्ल्यू0पी0 व डब्ल्यू0ए0 रिकवरी से संबंधित याचिकाये विचाराधीन थी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिकवरी पर स्टे दिया गया था, इसके बावजूद भी याचिका कर्ता अधिक भुगतान ले रहा था । शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं जिसमें चंडी प्रसाद उन्नयन का प्रकरण 2012 एवं वी0जे0 अकारा का प्रकरण 2006 में पारित निर्णय के आधार पर उक्त प्रकरण पारित निर्णय दिनांक 6.01.16 के विरुद्ध डबल बैंच में अपीलीय कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

  
सेनानी  
6वीं प्रशि.वाहिनी विसबल  
जबलपुर।